-61-

-100-

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

क्रमांक/एफ–16–128/2007/25/2 रायपुर, दिनांक 23/2/2011

प्रति,

आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास,
रायपुर छ0ग0

विषयः– सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति.

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/यु0कै0नि0यो0/10–11/10163 दि0 27.1.2011

राज्य शासन एतद् द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 को संशोधित करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 की स्वीकृति प्रदान करता हैं। संशोधित योजना की प्रति संलग्न हैं।

2– कृपया स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ0 अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ0जा0तथा अ0जा0वि0वि0

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
रायपुर छत्तीसगढ़

पृ0क्र0/सि0से0प्रो0यो0/52/2012/1414 रायपुर, दिनांक 3/2/012

प्रतिलिपिः–

समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला–............................छत्तीसगढ की ओर सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना (यथासंशोधित) 2010 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

(संजय गौड़.)
उपायुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
छत्तीसगढ़ रायपुर.

O/C

10/

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
मंत्रालय

राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010

1.योजना का नाम.

यह योजना राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 कहलायेगी।

2. उद्देश्य

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना हैं।

3.पात्रता

(1) अभ्यार्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी हो।

(2) अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का हो।

(3) अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता–पिता/पालक आयकरदाता न हो।

(4) राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी स्तर में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(5) अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य शासन की योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।

4. योजनान्तर्गत प्रावधान

1 योजनान्तर्गत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तर पर सफल होने पर निम्नानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जावेगी:–

प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर	मुख्य परीक्षा में सफल होने पर
रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र)	रू0 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र)

(2) यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जायेगीं।

(3) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को राज्य स्तर/जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जावेगा।

5. योजना का कियान्वयन

पात्र अभ्यर्थियों को इस योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र पर समस्त वांछित प्रमाणित अभिलेखों के साथ आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को आवेदन करना होगा।

योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षणोपरांत स्वीकृति आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, छ0ग0 रायपुर द्वारा दी जायेगी एवं जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निर्दिष्ट बजट शीर्ष से राशि आहरण कर संबंधित को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जावेगा।

6. योजना में संशोधन की शक्ति

योजना में किसी प्रकार की संशोधन या व्याख्या का अधिकार शासन में निहित होगा

(डॉ0 अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0वि0वि0

- 66 -

- 15 -

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
डी0के0एस0भवन, मंत्रालय रायपुर

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना(यथा संशोधित) वर्ष 2010

1.योजना का नाम

यह योजना संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 कहलायेगा।

2.उद्देश्य

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र की सिविल सेवा परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवा में सफलता प्रापत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना हैं।

3.पात्रता

(1) अभ्यार्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी हो।
(2) अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग का हो।
(3) अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी के माता–पिता / पालक आयकरदाता न हो।
(4) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
(5) अभ्यर्थी केन्द्र / राज्य शासन की योजनान्तर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो।

4. योजनान्तर्गत प्रावधान

1. योजनान्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर निम्नानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जावेगीः–

(अ) अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा– प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000 / –(रूपये एक लाख मात्र).

(ब) यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जायेगी।

2. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को राज्य स्तर / जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस / गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमाण–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जावेगा।

5.योजना का कियान्वयन

पात्र अभ्यर्थी को इस योजना के लिए निर्धारित प्रपत्र पर समस्त वांछित प्रमाणित अभिलेखों के साथ आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को आवेदन करना होगा।

योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षणोपरांत स्वीकृति आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु0 जाति विकास, छ0ग0 रायपुर द्वारा दी जायेगी एवं जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निर्दिष्ट बजट शीर्ष से राशि आहरण कर संबंधित को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जावेगा।

6. योजना में संशोधन की शक्ति

योजना में किसी प्रकार की संशोधन या व्याख्या का अधिकार शासन में निहित होगा।

(डॉ0 अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0वि0वि0